

August 6, 2026

The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited. 25 th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', C- 1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051
Scrip Code: 534600	NSE Symbol: JTLIND

Sub: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2026 published on August 6, 2026 in the Chandigarh editions of **Financial Express (English)** and **Jansatta (Hindi)**.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For JTL Industries Limited

Amrender Kumar Yadav
Company Secretary and Compliance Officer
(M. No. A41946)

Continued from previous page...

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE Limited on 04 August, 2026.

1) Allotment to Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 96/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME. The category has been subscribed to the extent of 1.81 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 9,60,000 Equity Shares to 400 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
1	2,400	723	100.00	17,35,200	100.00	2,400	400:723	9,60,000
TOTAL		723	100.00	17,35,200	100.00	2,400	400:723	9,60,000

2) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs.2 Lakhs and Upto Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 96/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME. The category has been subscribed to the extent of 2.30 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,38,000 Equity Shares to 38 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1	3600	45	63.38	1,62,000	46.88	3,600	8:15	86,400
2	4800	12	16.90	57,600	16.67	3,600	1:2	21,600
4800		Lottery				1,200	1:12	1,200
3	6000	2	2.82	12,000	3.47	3,600	1:2	3,600
4	8400	1	1.41	8,400	2.43	3,600	1:1	3,600
5	9600	11	15.49	1,05,600	30.55	3,600	6:11	21,600
Total		71	100	3,45,600	100			1,38,000

Please Note: 1 lots of 1,200 shares to be allotted to Sr. No 2

3) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 96/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME. The category has been subscribed to the extent of 1.83 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,76,000 Equity Shares to 35 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1.	10800	22	62.84	2,37,600	36.07	4,800	1:1	1,05,600
10800		Lottery				1,200	15:22	18,000
2	12000	3	8.57	36,000	5.46	6,000	1:1	18,000
3	18000	2	5.71	36,000	5.46	7,200	1:1	14,400
18000		Lottery				1,200	1:2	1,200
4.	24000	1	2.86	24,000	3.64	9,600	1:1	9,600
5.	25200	1	2.86	25,200	3.83	9,600	1:1	9,600
6.	31200	1	2.86	31,200	4.74	12,000	1:1	12,000
7.	34800	1	2.86	34,800	5.28	12,000	1:1	12,000
8.	43200	1	2.86	43,200	6.56	14,400	1:1	14,400
9.	51600	1	2.86	51,600	7.83	16,800	1:1	16,800
10.	68400	1	2.86	68,400	10.38	21,600	1:1	21,600
11.	70800	1	2.86	70,800	10.75	22,800	1:1	22,800
TOTAL		35	100	6,58,800	100			2,76,000

Please Note: 15 lots of 1,200 shares to be allotted amongst Sr. No 1 and 1 lot of 1,200 shares to be allotted amongst Sr. No.3

Place: Haryana

Date: August 05, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ONEINDIG TECHNOLOGIES LIMITED

Disclaimer: Oneindig Technologies Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Haryana on August 03, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at, the website www.oneindig.tech of the BRLMs to the Issue at: www.shareindia.com the website of BSE at www.bseindia.com respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issuances and sales are made. There will be no public offering in the United States.

कार्यालय मा.पं. पैना बुजुर्ग, चि.खं. भावलखड़ा, शाहजहांपुर

अति अत्यकालीन निविदा सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पैना बुजुर्ग, विकास खण्ड भावलखड़ा, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अत्यन्धे स्थल में निर्माण योजना कार्य योजना के अनुमति निविदा निविदा कार्य हेतु आवश्यक सामग्री ईट, मौरंग, बजरी, सरिया, सीमेंट, रेडो, रेता, टाइल, पगल, पाइप, इन्टरलॉकिंग ईट, ह्यूम पाइप आदि की आवश्यकता है। निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 08.08.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 08.08.2026 को सायं 4 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत	योजना का नाम व लम्बाई	अभ्युक्ति
1.	ग्राम पंचायत अत्यन्धे स्थल निर्माण।	24.12 लाख	अत्यन्धे स्थल में निर्माण योजना	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी मा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चूषा है।
सत्यदेव (प्रशासक)				उमा शंकर शर्मा (सचिव)



केन फिन होम्स लिमिटेड
CIN : L85110KA1987PLC008699,
रेखाड़ी सहकारी बैंक के ऊपर, इन्दुमान मंदिर के पास, सोहना रोड, धारुहेड़ा-123106 ई-मेल : dharuhera@canfinhomes.com, फोन नं : 01274-242381/297604, मोबा: 7625079165

मांग सूचना
वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्मूल्यांकन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संरक्षणी ऐक्ट) की धारा 13(2) के साथ पड़ित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री टेकचंद (उधारकर्ता)
2. श्रीमती शकुन्ता पत्नी श्री टेक चंद (सह-उधारकर्ता)
3. श्री मीन सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह (गारंटर)
आपमें से नं० 1 और 2 ने मिलकर हमारी शाखा से एक बंधक ऋण लिया था, जिसके बदले श्री सुशील कुमार एवं श्रीमती शकुन्ता की निम्नलिखित संपत्ति को बंधक के रूप में गिरफ्तो रखा गया था। 04.08.2026 तक केन फिन होम्स लिमिटेड को आपसे रु. 23,21,415.00/- (पच्चीस लाख तैरईस हजार चार सौ पंद्रह रुपये मात्र) बकाया है, जिस पर अनुबंधित दर से अने का ब्याज साय 01 दिस पर लगाने वाले अन्य शुल्क भी देय है।

गिरफ्तो रखी गई संपत्ति का विवरण
एमसीएन नंबर 68/56, प्लॉट नंबर 92 और 93 (कुल क्षेत्रफल 153 वर्ग गज), जो मुस्तलित नंबर 7, किला नंबर 25/3, राव कोलोनी, मौजा सिमाना ऊंचा गांव, तहसील बलमगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में स्थित है। प्रोपर्टी की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर-एससीएन नंबर 65, दक्षिण-एमसीएन नंबर 57, पूर्व-सड़क, पश्चिम-दूसरी प्रोपर्टी।
आपको संपत्ति अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत मांग नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह बिना सेवा हुए / प्राप्तकर्ता के निधन के कारण वापस लौट आया। अतः, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर इन नोटिसों को चिपकाया है, जिसके कारण वह समाचार पत्र प्रकाशन किया जा रहा है। चूंकि आपने 29.07.2026 से साइटों पर उपस्थित आया बैंक (एनएचबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार नए-निष्पादित परिसरों (एनपीए) के रूप में पंजीकृत किया गया है। आपका यह सूचित किया जाता है कि आपने उक्त राशि पर निर्धारित अनुबंधित 04.08.2026 को ब्याज दर सहित 60 दिनों के भीतर इस बकाया राशि का भुगतान करें। अन्यथा, अधोहस्ताक्षरी को संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसका अतिरिक्त, उधारकर्ताओं/गारंटर्स का ध्यान धारा 13(8) के उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय सीमा के संबंध में जानकारी दी गई है।

दिधि : 05.08.2026 स्थान : धारुहेड़ा		हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी केन फिन होम्स लिमिटेड
--	--	--

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मुंबई 2009-14, 20वीं तल, नैजमग कोलोन पार्क, गोल्ड कोर्ट एक्स्टेंडिड रोड, सेक्टर-58, गुरुकुल (हरियाणा) - 122011
सीआईएल : U61921HR2016PPTC057984

परिधिह 14 (नियम 8(1) देखी) अधिग्रहण सूचना
जबकि, अधोहस्ताक्षरकों ने उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मूल्यंकन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पड़ित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगवाक्य, यहाँ इसमें निम्न विवरणानुसार ऋणकर्ता/ओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का भुगतान कर वास्तविक स्थिति तक आकांक्षित समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतितान करने को कहा गया था। उक्त ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर्स/बंधककर्ता राशि का प्रतिभूतितान करने में विफल हो चुके हैं, अतः एतदनुसार ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर्स/बंधककर्ता तथा जनसमाचार को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकों ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पड़ित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्वयित, यहाँ निम्न तात्त्विक में अंकित स्थिति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर्स/बंधककर्ता को विवेक रूप में तथा जनसमाचार को एतदुपरा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करे तथा संपत्ति का कोई न किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहाँ इसमें निम्न विवरणानुसार राशि तथा संबंधित स्थितियों से लेकर के पुनः भुगतान होने तक इस पर राशि पर आकांक्षित मांगी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभावशाली होगा।

ऋणकर्ताओं की ध्यान, प्रतिभूति परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ताओं पर गारंटर्स, प्रतिभूतिकर्ता, कारण संरक्षकों/ धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा उक्त अंतर्गत दायित्व राशि और अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहाँ नीचे दिये गये अनुसार है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता, गारंटर्स का नाम एवं पता, ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	मांग सूचना तिथि	सांकेतिक अधिग्रहण तिथि
1.	मनु कुमार (संरक्षक) एवं पुनर्मूल्यंकन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संरक्षणी ऐक्ट) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन	14-मई-2026	01-अगस्त-2026

प्रोत्तु परिसंपत्ति के विवरण : संपत्ति का समस्त भाग तथा और जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, मरला है, जो कि क्षेत्रफल संख्या 74, खाता संख्या 93, एम्यू संख्या 10, किला संख्या 24(6-0), 25(6-0), एम्यू संख्या 19, किला संख्या 5(6-5), (1-13), 15/(6-13), खसरा संख्या 169(0-5), खसरा संख्या 170/(2(0)-19), खसरा संख्या 194(0-2) में समाविष्ट कुल भूमि 25 मरला 17 मरला में से 250/1663999 अंश है - पूर्व : उत्तरीति नदी, पश्चिम : उत्तरीति नदी, उत्तर : उत्तरीति नदी, दक्षिण : उत्तरीति नदी।
दिनांक : 06-अगस्त-2026
स्थान : पुराणा, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गोपल निगम, मोबा. 9650055701
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड



एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लि.
यूनिट नंबर 502, सी बिंग, वन बीकेसी, रेडियस डेवलपर्स, प्लॉट नंबर सी 66, जो ब्लॉक, बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस

एसोसिएट-एआरसी ने सार्वजनिक अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता की अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों को समुद्रदेशक से अधिग्रहित कर लिया है। ऋण के उक्त अधिग्रहण के आधार पर, एसोसिएट-एआरसी ने वित्तीय संस्थाओं और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मोचनार्थ के प्रवर्तन के रूप में अपनी समता में कार्यरत उधारकर्ता के बकाया ऋणों में सभी अधिकार, शेषिक और हितों का हस्तगत कर दिया है परंतु एसोसिएट-एआरसी ने उधारकर्ता के लिए प्रस्तावित ऋणगतता के रूप में समुद्रदेशक की भूमिका निभाई है और यह ऋण सुविधाओं के संबंध में बकाया राशि वसूलने और अंतर्निहित सुरक्षा हित को लागू करने का इस्तेमाल है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	एकक ट्रस्ट	पोर्ट फोलियो	असहमत की तारीख	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	PR01354945	एकक ट्रस्ट 191	SBFC	23.02.2026	शिव कुमार (उधारकर्ता) सलता देवी (सह-उधारकर्ता)	27.05.2026 और रु. 4,74,660/- दिनांक 13.01.2026 तक

बंधक संपत्ति का विवरण: समस्त सह मांग एवं खंड जोकि संपत्ति, खसरा संख्या 40/24 (7-4), मौजा ससोली, एच.बी. संस्था, तहसील जगमोरी, जिला मधुना नगर, हरियाणा - 135001 में स्थित है। तथा जिसका क्षेत्रफल 41.66 वर्ग गज और जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है: उत्तर-अन्य का प्लॉट, दक्षिण-अन्य का प्लॉट, पूर्व-16 फीट चौड़ी गली, पश्चिम-अन्य का प्लॉट

नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और/या उनके गारंटर्स (जहाँ भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के अंतर्गत की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करें, अन्यथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मूल्यंकन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त नोटिस की धारा 13(13) के अंतर्गत है, जिसमें उधारकर्ताओं/ गारंटर्स/ बंधककर्ता को सूचित किया गया है कि उक्त बंधक रखी गई संपत्ति को बेचा / पड़े पर / हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

दिधि: 06.08.2026, स्थान: हरियाणा, प्राधिकृत अधिकारी, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड



एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सीएचबी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स गांव बलमगढ़, अंधेरी-मुंबई रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कच्चा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संस्थानों के पुनर्मूल्यंकन और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पड़ित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं पर दिनांक नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता और/या उनके गारंटर्स (जहाँ भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के अंतर्गत की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करें, अन्यथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मूल्यंकन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त नोटिस की धारा 13(13) के अंतर्गत है, जिसमें उधारकर्ताओं/ गारंटर्स/ बंधककर्ता को सूचित किया गया है कि उक्त बंधक रखी गई संपत्ति को बेचा / पड़े पर / हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

उधारकर्ता का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि और मांग खाता संख्या	संपत्ति का विवरण और कच्चा की तिथि	कच्चा नोटिस में मांगी गई राशि (क. भु.)
1. प्रेमपाल सिंह (उधारकर्ता) 2. प्रभा देवी (सह-उधारकर्ता) पता: खाता नंबर 178 पर मकान, धारा नंबर 03 मिन्, वाका मौजा डेटा सुर्द में, परगना चंडीरा, तहसील गम्भाना, जिला अलीगढ़, यू.पी. मांग नोटिस तिथि: 31 मार्च 2026 ऋण खाता संख्या: SBFCCLAP0000163409 (PR01727450) & SBFCCLAP0000179974 (PR01750916)	संपत्ति का समस्त सह मांग एवं अंश जोकि संपत्ति संख्या 99, प्लॉट/भूमि क्षेत्रफल 384 वर्ग गज अर्थात 321 वर्ग गज, खाता संख्या 178 में से, माता संख्या 03 भिन्, वाका मौजा देता सुर्द, परगना चंडीरा, तहसील गम्भाना, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-202155 में स्थित है। जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है: पूर्व: तेजवारी की धारा नगर, पश्चिम: 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: कल्लू का मकान, दक्षिण: 12 फीट चौड़ी सड़क सांकेतिक कच्चा की तिथि: 04 अगस्त, 2026	रुपये 21,24,160/- (रुपये इक्कीस लाख चौबीस हजार एक सौ साठ मात्र) दिनांक 12 मार्च, 2026 तक, तथा दिनांक 13 मार्च, 2026 से अप्रयोजित ब्याज सहित

सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिधि: 06.08.2026
स्थान: अलीगढ़ / उत्तर प्रदेश-202155

सांकेतिक कच्चा सूचना				
ICI Home Finance		पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईआई बैंक रोड, बांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांदा (पूर्व), मुंबई- 400051		
कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईआई एचएफसी टॉवर, जेजी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059				
शाखा कार्यालय: 302, 303, 304, तीसरी मंजिल, एलडोर्डा कॉर्पोरेट चैबर ब्लॉक टाई सी 58वीं, विपुल खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010				
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मूल्यंकन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईआई होम फाइनेंस कम्पनी का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पडित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित कच्चा का पुनर्मूल्यंकन के लिए निम्नलिखित कर्जदारों की मांग सूचनाएं निर्गत की थीं।				
कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्मूल्यंकन में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतदुपरा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पडित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों पर कच्चा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतदुपरा संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अवल संपत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन आईसीआईआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभाव का विषय होगा।				
कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।				
क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कच्चे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अंकित कुमार (कर्जदार), मीना (सह-कर्जदार), श्रीमती उमाकांक्षित शुक्ला गोवर्धन पीडी शुक्ला हंस खेड़ा नगर राजाजीपुरम लखनऊ-226017 उत्तर प्रदेश, LHLUCO00001413953	प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा, जो गाँव अमीसी, परगना विजिनरी, तहसील सोरनीनगर, खसरा नंबर 2896, लखनऊ 226008, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर में: प्लॉट नंबर 17, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 18, पूर्व में: संत कुमार का प्लॉट, पश्चिम में: 19 फीट चौड़ी सड़क V कच्चे की तिथि 31-जुलाई-26	13-05-2026 रु. 23,57,268.92/-	लखनऊ
2.	अंकित कुमार (कर्जदार), मीना (सह-कर्जदार), श्रीमती उमाकांक्षित शुक्ला गोवर्धन पीडी शुक्ला हंस खेड़ा नगर राजाजीपुरम लखनऊ-226017 उत्तर प्रदेश, LHLUCO00001413954	प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा, जो गाँव अमीसी, परगना विजिनरी, तहसील सोरनीनगर, खसरा नंबर 2896, लखनऊ 226008, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर में: प्लॉट नंबर 17, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 18, पूर्व में: संत कुमार का प्लॉट, पश्चिम में: 19 फीट चौड़ी सड़क V कच्चे की तिथि 31-जुलाई-26	13-05-2026 रु. 60,841.52/-	लखनऊ
3.	अंकित कुमार (कर्जदार), मीना (सह-कर्जदार), श्रीमती उमाकांक्षित शुक्ला गोवर्धन पीडी शुक्ला हंस खेड़ा नगर राजाजीपुरम लखनऊ-226017 उत्तर प्रदेश, LHLUCO00001508339	प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा, जो गाँव अमीसी, परगना विजिनरी, तहसील सोरनीनगर, खसरा नंबर 2896, लखनऊ 226008, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर में: प्लॉट नंबर 17, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 18, पूर्व में: संत कुमार का प्लॉट, पश्चिम में: 19 फीट चौड़ी सड़क V कच्चे की तिथि 31-जुलाई-26	13-05-2026 रु. 5,95,678.88/-	लखनऊ

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटर्स को एतदुपरा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के तहत निम्नी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बकाया होगा।
दिधि : 06 अगस्त, 2026
स्थान : लखन